

आदेश पत्रक




(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 से तक

जिला - राँची

केस का प्रकार : विविध वाद (जमाबंदी निरस्तीकरण)

वाद संख्या 31/21-22

आदेश और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित
<p>03/02/22</p> <p>11/04/23</p>	<p>उप समाहर्ता, भूमि सुधार सदर राँची के पत्रांक 297(ii) दिनांक 25-10-2021 के आलोक में श्री मुरारी चौधरी द्वारा फर्जी तरीके से जमाबंदी एवं अवैध खरीद बिक्री रद्द करने के संदर्भ में पत्र प्राप्त है। उक्त प्राप्त पत्र में काँके अंचल अन्तर्गत मौजा जमुआरी के खाता संख्या 10 प्लॉट संख्या 16 रकबा 1.41 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा होने का उल्लेख है। इस संबंध में दिनांक 12-02-2022 को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी काँके, राँची। </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजात एवं राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन से यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है। जिसका निपटारा व्यवहार न्यायालय से किया जा सकता है।</p> <p>अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  अंचल अधिकारी काँके, राँची। </p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी काँके, राँची। </p>	